



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-22102026-277336
CG-JK-E-22102026-277336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 625]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए)

अधिसूचना

जम्मू, 29 सितम्बर, 2026

सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2026/03.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (1) तथा धारा 181 की उप-धारा (2) के खंड (t) और (x) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का, उक्त अधिनियम की धाराओं 43, 44, 45, 48, 50 और 56 के साथ पठित, तथा इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम 10 के अनुपालन में, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसके द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2023 (जिसे इसके पश्चात “मूलविनियम” कहा गया है) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1.1 इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विद्युत आपूर्ति संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकता है।

1.2 इन विनियमों का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तक होगा।

1.3 ये विनियमन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के अध्याय 4 में संशोधन

2.1 मूल विनियमों के विनियम 4.1 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम 4.1 ए अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“4.1 ए सार्वभौमिक आपूर्ति दायित्व

वितरण लाइसेंसी सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा:

परंतु यह कि आयोग, प्रणाली की उपलब्धता और लोकहित को ध्यान में रखते हुए, कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं, जिनमें कृषि भी शामिल है, के लिए आपूर्ति के कम घंटे विनिर्दिष्ट कर सकता है।”

स्पष्टीकरण.— यह विनियम समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम 10 में निहित आपूर्ति की विश्वसनीयता से संबंधित प्रावधानों के आगे अनुपालन में है।

आयोग के आदेशानुसार।

मोहम्मद अशरफ (जेकेएस), सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./394/2026-27]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (For The UT of Jammu and Kashmir and The UT of Ladakh)

NOTIFICATION

Jammu, the 29th September, 2026

No. JERC-JKL/Reg/2026/03.— In exercise of the powers conferred by Section 181(1) and clauses (t) and (x) of sub-section (2) of Section 181, read with Sections 43, 44, 45, 48, 50 and 56 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and in compliance with Rule 10 of the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, as amended from time to time, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations to amend the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Electricity Supply Code) Regulations, 2023 (hereinafter referred to as the “Principal Regulations”), namely:—

1. Short title, extent and commencement

1.1 These Regulations may be called the **Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Electricity Supply Code) (Second Amendment) Regulations, 2026.**

1.2 These Regulations shall extend to the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Chapter 4 of the Principal Regulations

2.1 After Regulation 4.1 of the Principal Regulations, the following Regulation 4.1A shall be inserted, namely:—

“4.1A Universal Supply Obligation

The Distribution Licensee shall ensure 24x7 power supply to all categories of consumers:

Provided that the Commission may specify lower hours of supply for certain categories of consumers, including agriculture, having regard to system availability and public interest.”

Explanation.— This Regulation is in furtherance of the provisions relating to reliability of supply contained in Rule 10 of the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, as amended from time to time.

BY ORDER OF THE COMMISSION.

MOHD. ASHRAF (JKAS), Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./394/2026-27]